2019/00467

राजस्थान – सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

क्रमांकःन्यायालय / न्यायिक स्टाम्प रिफण्ड / 2019 / 7083 दिनांक 16/12/2019

:: आदेश ::

हेमराज पिता गणपत लाल धोबी निवासी केसरगंज बिजोलिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा ने दिनांक 15.10.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कोर्ट फीस स्टाम्प दावा पेश करने हेतु कुल रूपये 5500 / –रूपये के दावा पेश नहीं किये जाने से उपयोग में नही आ सके। उक्त स्टाम्प राशि बाद कटौती कमीशन, राशि रिफण्ड कराना चाहता है ।

प्रार्थी के द्वारा राशि रिफण्ड के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट कोषाधिकारी भीलवाडा को लिखा गया। कोषाधिकारी भीलवाड़ा ने उनके पत्र क्रमांक कोष / स्टाम्प / 2019–20 / 182 दिनांक 03.12.2019 से स्टाम्प रूपये 5500 / – का सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। शासन उप सचिव वित्त (राजस्व) राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक प.2(32)वित्त / कर / 2006 / दिनांक 07.03.2007 के अन्तर्गत कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड में 6.25 प्रतिशत की दर से कटौती करने का प्रावधान किया हैं। राजस्थान कोर्ट फीस एवं सूट वेल्यूशन नियम 1961 के नियम 27 के अन्तर्गत प्रार्थी हेमराज पिता गणपत लाल धोबी निवासी केसरगंज बिजोलिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा को क्रय सुदा स्टाम्प 5500 / –रू. राशि में से 6.25 प्रतिशत राशि रूपये 344 / – की कटौती की जाकर रूपये 5,156 / – अक्षरे पांच हजार एक सौ छप्पन रूपये रिफण्ड किए जाने के स्वीकृती प्रदान की जाती हैं।

0030 – स्टाम्प और पंजीकरण
01 – स्टाम्प और अदालती
102 – स्टाम्पों की बिक्री
90– घटाइए वापसियॉ

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि

1. प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि वादी को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने की कार्यवाही करें।
2. कोषाधिकारी भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख हैं कि वादी द्वारा स्टाम्प की जमा राशि के चालान की प्रति चाहे जाने पर उपलब्ध करावें ।
3. हेमराज पिता गणपत लाल धोबी निवासी केसरगंज बिजोलिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि जमा राशी चालान की फोटोप्रति , बैंक खाता नम्बर , पैन नम्बर, आधार नम्बर की फोटोप्रति एवं मोबाईल नं. लेखा शाखा में प्रस्तुत करें ।

प्रभारी अधिकारी
न्यायालय अनुभाग